राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4593/2018

जगदीश चन्द मेघवाल —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बस्सी, जिला चित्तौडगढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.12.2018
आदेश की दिनांक : 20.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 20.6.2008 के विज्ञापन के तहत किए गए चयन के अनुसरण में निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.07.2010 (अनुलग्नक–1) द्वारा अध्यापक ग्रेड III (सामान्य) के पद पर नियुक्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण उस प्रक्रिया में मेरिट सूची संशोधित की गई थी, जिसके कारण अपीलार्थी और 12 अन्य कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। अपीलार्थी और अन्य 12 कर्मचारियों ने अपनी बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 08.02.2018 (अनुलग्नक–2) के निर्णय के माध्यम से किया, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह अपीलार्थी और अन्य 12 कर्मचारियों को अध्यापक ग्रेड III (सामान्य) के रूप में सेवा जारी रखे एवं उन्हें दिनांक 13.08.2013 से वैध रूप से चयनित और नियुक्त माना जाए। संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा ने अपने आदेश दिनांक 03.07.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी तथा 12 अन्य कर्मचारियों को दिनांक 13.08.2013 से सभी लाभ देने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी को बीच की अवधि के लाभ तथा बकाया राशि दी गई। अपीलार्थी को दिनांक 11.08.2018 और दिनांक 21.08.2018 के आदेशों के अनुसार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि और संशोधित वेतनमान दिया गया

(अनुलग्नक–4 एवं 5)। सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने आदेश दिनांक 06.12.2018 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ को पत्र भेजकर उल्लेख किया जाए कि वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि स्वीकृत करना विधिक रूप से उचित नहीं है, अतः इस AGI को निरस्त करें तथा वेतन निर्धारण एवं AGI हेतु सेवा पुस्तिका विभाग को भेजें। अपीलार्थी सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 08.02.2018 के निर्णय के अनुसार दिनांक 13.08.2013 से पूर्ण वेतन और सभी लाभों का हकदार है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2018 को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभागीय पत्रांक 26668–70 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या–25894/2013 पर पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध रिव्यु पिटीशन दायर नही करने के निर्णय के फलस्वरूप अपीलार्थीगण व अन्य 13 को दिनांक 13.08.2013 से सेवारत मानते हुए तदनुसार समस्त परिलाभ दिये जाने का निर्णय किया गया। वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि तथा संशोधित वेतनमान दिये जाने के आदेश दिनांक 11.08.2018 तथा दिनांक 21.08.2018 प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बस्सी जिला चित्तोडगढ के द्वारा स्वयं के स्तर से किया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत अपीलार्थी को दिनांक 13.08.2013 से सेवारत मानते हुए नियुक्ति नियमों के अनुसार दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के उपरांत ही अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है तथा अपीलार्थी के वेतन स्थिरीकरण करने के लिए विभागाध्यक्ष प्राधिकृत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2018 को चुनौती दी गई है। प्रकरण में अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7169/2014 मुन्नाराम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय में दिनांक 13.08.2013 द्वारा जिस तिथि को स्पेशल लीव अपील दायर की गई है, से विधिवत रूप से चयनित एवं सेवा में नियुक्त माने जाने के आदेश पारित किए गए है। उक्त निर्णय के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा पारित निर्णय को राज्य स्तरीय स्थायी कमेटी द्वारा नो रिव्यू अपील दायर नहीं करने के निर्णय के फलस्वरूप अपीलार्थी को समस्त परिलाभ दिए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसके क्रम में प्रधानाचार्य, राजकीय

बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण संबंधी आदेश पारित किए गए। इस वेतन निर्धारण आदेश के संबंध में आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2018 जारी किया जाकर यह स्पष्ट किया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के तहत कार्मिक को आदेश दिनांक 13.08.2013 से सेवारत मानते हुए दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के पश्चात कार्मिक की वेतन वृद्धि स्वीकृति की जाती है और कार्मिक के वेतन स्थरीकरण करने के लिए विभागाध्यक्ष पंजीकृत है। इस कारण प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 01.07.2014 से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर वेतन भुगतान की स्वीकृति जारी किया जाना सही नहीं मानते हुए उसे निरस्त कर प्रकरण को निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग को भिजवाने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया गया।

आलौच्य आदेश में जारी किए गए निर्देशों में हम कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते है क्योंकि सेवा नियमों में दो साल की परिवीक्षा अवधि के पश्चात् ही निर्धारित वेतन श्रृंखला एवं वार्षिक वेतन वृद्धि देय है। परीविक्षाकाल समाप्ति पर स्थायीकरण के पश्चात् नियमित वेतन श्रृंखला में एक साल की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, जबकि स्थानीय विद्यालय द्वारा जारी आदेश में नियमित वेतन श्रृंखला और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ परिवीक्षा अवधि में स्वीकृत करना पाया जाता है। अतः हम यह पाते है कि जारी आलौच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु बहस के दौरान प्रत्यर्थी विभाग यह बताने में असफल रहा है कि क्या आलौच्य आदेश के क्रम में अपीलार्थी को नियमानुसार वेतन श्रृंखला और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है अथवा नहीं।

अतः उक्तानुसार आलौच्य आदेश में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है एवं अपील खारिज की जाती है, परन्तु विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी को अभी तक परिवीक्षाकाल समाप्ति के पश्चात नियमित वेतन श्रृंखला और वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई है तो दो माह में नियमानुसार स्वीकृत किया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य